तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण
10/11/20	वकील पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है मिसल दिनांक 30-12-20 को पेश हो । (हस्ताक्षर)
30/12/20	वकलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब मुख्यालय से बाहर हैं मिसल दिनांक 17-2-21 को पेश हों (हस्ताक्षर)
17/2/21	वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट प्राप्त। शामिल मिसल रहे। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित कृषि भूमि खसरा नं 1584 61 तादादी 3.55 है० रोही भम्भाऊ तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादी का अशुद्ध नाम उदल पुत्र फूलाराम दर्ज है। वादी के पहचान के अन्य समस्त दस्तावेज में शुद्ध नाम उदमीराम पुत्र फूलाराम है। वादी द्वारा पहचान के दस्तावेज वाद के साथ पेश कर जमाबन्दी में नाम शुद्धि का अनुतोष चाहा गया। वाद से सम्बन्धित जाँच रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ़ से ली गई जो शामिल मिसल है। तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट से प्रकरण के तथ्यों की पुष्टि होती है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में खातेदार के नाम की अशुद्धि का है अतः वाद को धारा 136 L.R. Act के तहत पाया जाने से प्रकरण को आंशिक रूप से प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R. Act की हद तक स्वीकार कर विवादित कृषि भूमि भूमि के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम उदल पुत्र फूलाराम के स्थान पर उदमीराम पुत्र फूलाराम दर्ज कर शुद्धि के आदेश दिए जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार राजगढ़ को परवाना जारी हो। मिसल फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)